

06.11.2024 वकिल प्रार्थी अनुपस्थित। चूंकि मूलवाद का  
निस्तारण हो चुका है। ऐसी स्थिति में आवेदन  
पर आवेदन चलाने का औचित्य नहीं है।  
लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पर इसी स्टेज  
पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर शामिल  
इफ्तार हो।

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बलौतरा,